केंद्रीय विद्यालय संगठन /KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा/ REGIONAL OFFICE, AGRA
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय, भारत सरकार)
(An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India)
ग्रांड परेड रोड, आगरा छावनी/ Grand Parade Road, Agra Cantt
आगरा(यू. पी.)-282001/ Agra (U.P.) - 282001
☎0562-2225530, 2225588, 2225523 Fax : 0562-2225374
email : admnkvsroagra@gmail.com
Website :- https://roagra.kvs.gov.in

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फ 30075-1/2018/केविसं(आगरा)/प्रशा./ 3225

दिनांक: 18-09-2023

आदेश

दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 से प्रभावी "कार्यस्थल पर महिलाओ का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 की धरा 4(2) के प्रधानो के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन सम्बन्धी शिकायतों के निपटान के सम्बन्ध मे पूर्व में जारी आदेशो का अधिक्रमण करते हुए के वि सं, आगरा संभाग एवं आगरा संभाग के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालयों के स्तर पर "आतंरिक शिकायत समितियों" के पुनर्गठन करने के सम्बन्ध मे जानकारी एततद्वारा प्रदान की जाती है|

तदनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु तथा के वि सं के प्रत्येक कार्यालय स्तर पर आतरिक शिकायत समिति के गठन में समरूपता लाने की द्रष्टि से 'आतंरिक शिकायत समिति(आई सी सी)' के गठन तथा इसके अधिकार क्षेत्र के विवरण निम्नानुसार संप्रेषित किये जाते है:

1. केविसं, संभागीय स्तर :- केविसं, आगरा संभाग के दिनांक 22.11.2019 के आदेश द्वारा अधिसूचित की गई समिति के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित परवर्तन किये गये है-

क्र.	नामावली	नामित सदस्य का नाम	अधिकार क्षेत्र
1	पीठासीन अधिकारी	श्रीमती अर्चना जायसवाल, सहायक आयुक्त, के वि स, लखनऊ संभाग	के वि सं आगरा संभाग में कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीडन के मामले में क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों अनुभाग अधिकारी तक (वित्त अधिकारी को छोड़कर) के मामले में जांच करेगी तथा संभाग में आने वाले केंद्रीय विद्यालय स्तर पर प्राचार्य, उप-प्राचार्य एवं मुख्याध्यापक तक के मामले में जांच करेगी|
2	गैर-सरकारी संगठन (एन जी ओ) सदस्य (एक)	(i) श्रीमती शीला बहल, 42/11, बिल्लोचपुरा, मदिया कटरा, आगरा (ii) सुश्री वत्सला प्रभाकर, 14, सरस्वती नगर, बल्केश्वर आगरा	
3	महिला सदस्य (एक)	(i) सुश्री राजकुमारी निगम, प्राचार्य, के वि महोबा (ii) श्रीमती शोभा शर्मा, प्राचार्य, के वि क्र 1 हिंडन (iii) श्रीमती प्रियंका त्यागी, प्राचार्य, के वि सूरजपुर	
4	पुरुष सदस्य (एक)	(i) श्री सुनील कुमार, प्राचार्य, के वि मथुरा कैंट (ii) श्री विपिन कुमार त्यागी, प्राचार्य, के वि बावली (iii) श्री अजय गुप्ता, प्राचार्य, के वि रामपुर	

2. विद्यालय स्तर:-

क्र.	नामावली	नामित सदस्य का नाम	अधिकार क्षेत्र
1	पीठासीन अधिकारी	संभाग स्तर पर गठित आई सी सी का पीठासीन अधिकारी, संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रीय विद्यालयों के स्तर पर गठित आई सी सी के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे|	विद्यालय में कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीडन के मामले में विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों (प्राचार्य, उप-प्राचार्य एवं मुख्याध्यापक को छोड़कर) के मामले में जांच करेगी	
2	गैर-सरकारी संगठन सदस्य	महिलाओं के हित के कार्यो के लिए समर्पित गैर-सरकारी संगठनों से एक सदस्य जो महिला यौन उत्पीडन से सम्बंधित मामलो से वाकिफ हो|	
3	सदस्य	विद्यालय कर्मचारियों में से कम से कम दो सदस्य जिनमे महिलाओं के हित के कार्यों के लिए समर्पित अथवा जिन्हें सामाजिक कार्यों का अनुभव हो अथवा कानूनी जानकारी हो, को वरीयता दी जाएगी|	
4	सदस्य		
5	सदस्य	विद्यालय प्रबंध समिति से एक सदस्य (महिला सदस्य को वरीयता)	

टिपणी:

(1) सभी स्तरों पर आतंरिक शिकायत समिति का गठन इस आधार पर किया जाएगा कि इस तरह नामित सदस्यों में से आधे सदस्य महिला सदस्य होंगे|

(2) पीठासीन अधिकारी सहित आतंरिक शिकायत समिति के सभी सदस्य उनको नामित किये जाने की तिथि से तीन वर्षो से अधिक कार्य नही करेंगे|

(3) अधिनियम की एक प्रति तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 पर सार-संग्रह वितरण हेतु प्रेषित किया जा रहा है|

(4) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन की शिकायतों की जांच सख्ती के साथ निर्धारित प्रक्रिया, अधिनियम में निर्धारित कालानुक्रम तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाए|

(शेक ताजुद्दीन)
उपायुक्त

वितरण

1. श्रीमती अर्चना जायसवाल, सहायक आयुक्त, के वि सं, लखनऊ संभाग
2. श्रीमती शीला बहल, 42/11, बिल्लोचपुरा, मदिया कटरा, आगरा
3. सुश्री वत्सला प्रभाकर, 14, सरस्वती नगर, बल्केश्वर आगरा
4. सुश्री राजकुमारी निगम, प्राचार्य, के वि महोबा
5. श्रीमती शोभा शर्मा, प्राचार्य, के वि क्र 1 हिंडन
6. श्रीमती प्रियंका त्यागी, प्राचार्य, के वि सूरजपुर
7. श्री सुनील कुमार, प्राचार्य, के वि मथुरा कैंट
8. श्री विपिन कुमार त्यागी, प्राचार्य, के वि बावली
9. श्री अजय गुप्ता, प्राचार्य, के वि रामपुर
10. प्राचार्य, समस्त केंद्रीय विद्यालय, आगरा संभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विद्यालय में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की जानकारी में लाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय स्तर पर उपरोक्त दिशा निर्देश के अनुसार आतंरिक शिकायत समिति का गठन किया जाए तथा अनुपालना रिपोर्ट यह पत्र जारी होने के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाए|
11. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, के वि सं, आगरा सम्भाग|
12. सहायक आयुक्त(सतर्कता), के वि सं, मुख्या., नई दिल्ली – सूचनार्थ|